# न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रा0पत्र सं0 01/2018
.राजस्थान सरकार जरिये जगदीश प्रसाद शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक, लालसोट जिला दौसा
..प्रार्थी

बनाम

1.प्रहलाद बैरवा, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत महारिया तहसील लालसोट जिला दौसा
2.संतरा देवी पत्नि प्रहलाद बैरवा बैरवा तहसील महारिया तहसील लालसोट जिला दौसा
3.जगदीश प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री रामलाल अग्रवाल निवासी खुर्रा रोड मंडावरी तहसील लालसोट जिला दौसा
..अप्रार्थी

उपस्थित: 1. श्रीमती सूरज बाई मीना, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार
2. श्री रामेश्वर प्रसाद बैरवा, अधिवक्ता अप्रार्थी 1लगा0 2 की ओर से

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 16 क्वि0 12 किलो 500ग्राम गेहूँ मय बारदाना को राजसात करने बाबत।

निर्णय

दिनांक: 14.02.2025

1. संक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक, लालसोट ने दिनांक 12.02.2018 को 16 क्वि0 12 किलो 500 ग्राम गेहूँ मय बारदाना को राजसात करने हेतु निवेदन किया ।
2. प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।
3. पैरोकार सरकार की बहस में दलील है कि दिनांक 03.01.2018 को जिला रसद अधिकारी के मौखिक आदेश से प्रवर्तन निरीक्षक श्री योगेश मिश्रा द्वारा कृषि उपज मंडी समिति मंडावरी तहसील लालसोट मे जगदीश ट्रेडिंग कंपनी की दुकान पर किसी उचित मूल्य दुकानदार के राशन के गेहू बिकी हेतु लाये जाने की सूचना प्राप्त होने पर प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा उक्त गेहूं के संबंध मे जांच करने पर कृषि उपज मंडी मंडावरी की पुस्तक संख्या 132 के क्रमांक 23 पर श्रीमति संतरा पत्नि कैलाश निवासी महारिया के नाम पर तिल 1 कट्टा, गेहूं 29 कट्टा, बाजरा 7 कट्टा, चना 3 कट्टा, ग्वार 6 कट्टा एवं जेसीटी लिखा हुआ पाया गया। फर्म मालिक जगदीश अग्रवाल को जांच पूरी होने तक सामग्री खुर्द बुर्द नही करने हेतु पाबंद किया गया। दिनांक 04.01.2018 को संयुक्त जांच दल द्वारा उचित मूल्य दुकानदार प्रहलाद बैरवा ग्राम पंचायत महारिया (जो संतरा देवी के पति है।) की दुकान पर राशन डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को कम मात्रा मे राशन सामग्री दिया जाना साबित हुआ है। विस्तृत परिक्षण कर पॉश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट का राशन कार्ड वार सितंम्बर 2016 से निरीक्षण दिनांक तक प्रविष्ठियों का मिलान करने पर 1706 किग्रा गेहूं, 132.500 किग्रा0 चीनी तथा 209.50 लीटर केरोसीन उपभोक्ताओं को कम देना पाया गया। इस तरह राशन डीलर द्वारा राशन कार्ड मे गलत प्रविष्ठि दर्ज कर राशन सामग्री हडप कर कालाबाजारी हेतु बेची जा रही राशन सामग्री को जब्त किया गया । उक्त जब्त सामग्री मे से 16 क्वि 12 किलो 500 ग्राम गेहूं राशन सामग्री का होना प्रमाणित होता है। इस प्रकार राशन डीलर द्वारा 16 क्वि 12 किलो 500 ग्राम गेहूं का दुरुपयोग किया है। इस प्रकार डीलर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम–[illegible] तहत दण्डनीय अपराध किया है। अत: जब्तशुदा माल को राजसात करने के आदेश प्रदान कर[illegible]
4. अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित [illegible] बहस मे दलील दी कि राशन डीलर की दिनांक 03.01.2018 को कालाबाजारी की शिकायत की गई। [illegible] जिला रसद अधिकारी ने दिनांक 30.01.2018 को राशन डीलर [illegible] नोटिस जारी किया गया [illegible] उक्त नोटिस की तामील दिनांक 15.10.2018 को बहुत विलंब से कराई गई है। अप्रार्थी सं0 01 को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण की कार्यवाही विचाराधीन रखते हुए प्राधिकार पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:54:42 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

अग्रिम आदेशों तक निलंबित किया गया। अपीलांट राशन डीलर के साथ–साथ काश्तकार भी है जो अपनी फसल को मंडी मे बेचने के लिए लाया था। जिसको कालाबाजारी बताया गया। अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की कालाबाजारी नही की गई है। साथ ही प्रवर्तन निरीक्षक के द्वारा भी रिपोर्ट दिनांक 04.1.2018 में भी यह अंकित किया गया है कि जब्त गेहूॅ के कट्टों को हाथ से सिला हुआ होना पाया गया तथा मशीन से नीले धागे से डबल सिलाई किया हुआ नहीं पाया जान प्रथम दृष्ट्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूॅ नहीं होना माना है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

5. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है प्रवर्तन निरीक्षक दौसा के द्वारा उचित मूल्य दुकानदार प्रहलाद बैरवा की उचित मूल्य दुकान की निरीक्षण पॉश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट का राशन कार्ड वार सिंतम्बर 2016 से निरीक्षण दिनांक तक प्रविष्ठियों का मिलान करने पर 1706 किग्रा गेहूं 132.500 किग्रा0 चीनी तथा 209.50 लीटर केरोसीन उपभोक्ताओं को कम देना पाया गया। इस तरह राशन डीलर द्वारा राशन कार्ड मे गलत प्रविष्ठि दर्ज कर राशन सामग्री हडप कर कालाबाजारी हेतु बेची जा रही राशन सामग्री को जब्त किया गया । उक्त जब्त सामग्री मे से 16 क्वि 12 किलो 500 ग्राम गेहूं राशन सामग्री का होना मानते हुए राशन डीलर द्वारा 16 क्वि 12 किलो 500 ग्राम गेहूं का दुरुपयोग किया जाना आरोपित किया गया है। पत्रावली में संलग्न फर्द मौका में ''गेहूॅ के कट्टों को हाथ से सिला हुआ पाया जाना तथा मशीन से नीले धागे से डबल सिलाई किया हुआ नहीं पाया जाना प्रथम दृष्ट्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूॅ नहीं होना प्रतीत होता है''। इस प्रकार प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट में विरोधाभास होना ज्ञात होता है। प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट में एक ओर उक्त जब्त गेहूॅ को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होना मानते हुए जब्त किया गया है और फर्द मौका में प्रवर्तन निरीक्षक के द्वारा ''गेहूॅ के कट्टों को हाथ से सिला हुआ पाया जाना तथा मशीन से नीले धागे से डबल सिलाई किया हुआ नहीं पाया जाना प्रथम दृष्ट्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूॅ नहीं होना अंकित किया है जो कि विरोधाभासी है। हम प्रार्थी जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य समझते है।

6. उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। जिला रसद अधिकारी दौसा को आदेश दिये जाते है कि प्रहलाद मीना, उचित मूल्य दुकानदार महारिया की जब्त राशन सामग्री अप्रार्थी को लौटाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय काम मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकरन नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 14 फरवरी 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:54:42 IST
Reason: SelfAttested